न्यायालय–उपजिलाधीश लालसोट, जिला–दौसा (राज0)

राजस्व वाद संख्याः– 49/2020: दिनांक रजू 06–10–2020

पीठ़ाशीन अधिकारी : श्री गोपाल जांगिड़, आर. ए. एस.
उपजिलाधीश लालसोट

सीताराम पुत्र रामचन्द्रा जाति माली निवासी हरिपुरा की ढ़ाणी तलावगांव गुदडिया तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(प्रार्थी / वादी)

बनाम्

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला–दौसा (राज0)

(अप्रार्थी / प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

(दफा–136 एल.आर.एक्ट)

निर्णय दिनांक 30.12.2020

उपस्थितः–1. श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड़ एड़वोकेट– प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

प्रार्थी / वादी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 150 रकबा 2.1000 बीघा, ख0नं0 165 रकबा 0.0400 बीघा, ख0नं0 167 रकबा 49.1100 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम गुदडिया पटवार हल्का तलावगांव भू.अभि.नि.क्षैत्र शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है जिसमें प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के तीन ओर सगे भाई

उपखण्ड अधिकारी
... जिला दौसा (रा...

भी खातेदार हैं। इस प्रकार उक्त आराजी में प्रार्थी व उसके भाईयो का कुल हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित हैं। प्रार्थी को ग्रामीण बोलचाल की भाषा सीतिया भी कहते हैं जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सीताराम हैं तथा समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सीताराम पुत्र रामचन्द्रा जाति माली अंकित हैं। जबकि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र रामचन्द्रा के स्थान पर भूलवश सीतिया पुत्र रामचन्द्रा अंकित हो रहा हैं जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त राजस्व रिकार्ड में सीतिया के स्थान पर सीताराम किया जाना न्यायार्थ आवश्यक हैं। उक्त आराजी की जमाबंदी में प्रार्थी की ग्रामीण बोलचाल की भाषा में बोला जाने वाला नाम सीतिया दर्ज हो जाने की वजह से प्रार्थी को उक्त आराजी के संबंध में मिलने वाली समस्त सरकारी व गैरसरकारी कृषि सुविधाऐ तथा भारत सरकार व राजस्थान सरकार से मिलने वाली समस्त सुविधाओ से वंचित हो रहा हैं इसलिए उक्त आराजी वादग्रस्त की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सीतिया पुत्र रामचन्द्रा के स्थान पर उसका सही एवं वास्तविक नाम सीताराम पुत्र रामचन्द्रा शुद्ध करने हेतू तहसीलदार लालसोट को निर्देशित फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक हैं। प्रार्थी को पूर्व इसकी जानकारी नहीं थी परन्तु वर्तमान में प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ वादग्रस्त भूमि के विकास कार्य हेतू लेने गया तो दिनांक 10–09–2020 को पटवारी से सम्पर्क करने पर पटवारी ने प्रार्थी को बताया कि इस राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में तुम्हारा नाम सीताराम के स्थान पर सीतिया दर्ज हो रहा हैं पहले उसे शुद्ध करवाओ उसके बाद ही तुम्हे सरकारी सुविधाओ का लाभ मिलेगा। तब दिनांक 15–09–2020 को प्रार्थी उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अशुद्ध नाम सीतिया के स्थान पर शुद्ध एवं

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.

वास्तविक नाम सीताराम अंकित करवाने के लिए तहसीलदार महोदय लालसोट (अप्रार्थी) के कार्यालय में गया और आवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहां। इसलिए प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष बिना विलम्ब किये दिनांक 06–10–2020 को धारा 136 राजस्थान लैण्ड़ रेवन्यू एक्ट के तहत नाम दुरूस्ती हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 15–10–2020 को प्रकरण न्यायालय में दर्ज हुआ तथा अप्रार्थी की तलवी हेतू नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट की विधिवत तामिल दिनांक 28–10–2020 को हुई परन्तु अप्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण में कोई भी उपस्थित नहीं आया जिसके पश्चात् न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट को उक्त विवादित आराजी ख0नं0 150 रकबा 2.1000 बीघा, ख0नं0 165 रकबा 0.0400 बीघा, ख0नं0 167 रकबा 49.1100 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम गुदडिया पटवार हल्का तलावगांव भू.अभि.नि.क्षैत्र शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में अंकित नाम सीतिया व वास्तविक सीताराम पुत्र रामचन्द्रा जाति माली के संबंध में नाम शुद्धि जांच कर जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतू दिनांक 02–11–2020 को इस न्यायालय से एक तहरीर जारी की गई जिस पर तहसीलदार लालसोट की ओर से दिनांक 09–11–2020 को मय हल्का पटवारी रिपोर्ट, प्रार्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति, जन आधार कार्ड की छाया प्रति व राशन कार्ड की छाया प्रति को संलग्न कर उक्त न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट की तरफ से अपने हस्ताक्षर कर व सील लगाकर उक्त प्रकरण में जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसे पत्रावली में शामिल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बार बार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो का दोहराते हुए यह विनम्र निवेदन किया कि उक्त आराजी वादग्रस्त में प्रार्थी का नाम गलती से सीतिया दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम सीताराम हैं तथा उसके द्वारा न्यायालय में उक्त प्रकरण में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सीताराम पुत्र रामचन्द्रा जाति माली अंकित हैं। जबकि उक्त आराजी की जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सीताराम के स्थान पर सीतिया अशुद्ध रूप से अंकित हो रहा हैं जिसे शुद्ध किया जाना न्यायार्थ आवश्यक हैं।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति व जन आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा तहसीलदार लालसोट के द्वारा हस्तगत प्रकरण में भेजी गयी उक्त नाम शुद्धि हेतू विस्तृत रिपोर्ट एवं हल्का पटवारी तलावगांव की रिपोर्ट दिनांक 03–11–2020 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न निर्णित किया जाना हैं कि क्या सीतिया पुत्र रामचन्द्रा जाति माली के स्थान पर प्रार्थी का शुद्ध एवं वास्तविक नाम सीताराम पुत्र रामचन्द्रा जाति माली शुद्ध किया जा सकता है?

इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सरकारी दस्तावेजात व हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 03–11–2020 व तहसीलदार लालसोट की विस्तृत रिपार्ट दिनांक 09–11–2020 संलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजो को देखने के पश्चात् तथा तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

एवं मनन किया गया जिसमे हल्का पटवारी तलावगांव ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया हैं कि सीताराम एवं सीतिया एक ही व्यक्ति हैं। सीतिया का वास्तविक नाम सीताराम ही हैं जो मृत्तक रामचन्द्र का वारिस हैं तथा हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का भी अंकन किया हैं कि ग्रामवासियो से पूछताछ के दौरान ग्रामवासियो ने यह बताया कि प्रार्थी का वास्तविक एवं शुद्ध नाम सीतिया न होकर सीताराम पुत्र रामचन्द्रा हैं जो शुद्ध किये जाने योग्य हैं। तथा तहसीलदार लालसोट महोदय के द्वारा भी हल्का पटवारी रिपोर्ट का समर्थन किया गया तथा तहसीलदार लालसोट अप्रार्थी ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि प्रार्थी का शुद्ध एवं वास्तविक नाम सीताराम ही हैं। इसलिए उक्त हस्तगत प्रकरण में न्यायालय का भी यह मत हैं कि उक्त आराजी वादग्रस्त आराजी ख0नं0 150 रकबा 2.1000 बीघा, ख0नं0 165 रकबा 0.0400 बीघा, ख0नं0 167 रकबा 49.1100 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम गुदडिया पटवार हल्का तलावगांव भू.अभि.नि.क्षैत्र शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में प्रार्थी का नाम सीताराम के स्थान पर सीतिया दर्ज हो गया हैं चूंकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति सीताराम को सीतिया कहकर भी बुलाते हैं। इसलिए वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट, संलग्न पटवारी रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज के अवलोकन एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक मनन करने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिवचन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रकट नही होता हैं तथा न्यायालय के मत में प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

आदेश

प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी विरूद्ध प्रतिवादी/अप्रार्थी इस आशय के साथ स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि आराजी ख0नं0 150 रकबा 2.1000 बीघा, ख0नं0 165 रकबा 0.0400 बीघा, ख0नं0 167 रकबा 49. 1100 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम गुदडिया पटवार हल्का तलावगांव भू.अभि.नि.क्षैत्र शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व अभिलेख में वर्तमान में अशुद्ध रूप से दर्ज प्रार्थी का नाम सीतिया लोपित किया जाकर सीतिया के स्थान पर प्रार्थी का शुद्ध एवं वास्तविक नाम सीताराम पुत्र रामचन्द्रा उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतू तथा उक्त इन्द्राजात में दुरूस्त करने हेतू अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट को निर्देशित (आदेश) किया जाता हैं तद्नुसार इन्द्राजात दुरूस्त करें। इस आशय की पृथक से तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.
उपजिलाधीश, लालसोट

निर्णय आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपजिलाधीश, लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज.